



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062026-273135
CG-DL-E-04062026-273135

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2026/ज्येष्ठ 13, 1948

No. 379]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2026/JYAISHTHA 13, 1948

भारतीय मानक ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2026

फा. सं. बी एस XI/06/01/2026-27.—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 39 के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

- (क) इन विनियमों को भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2026 कहा जाएगा।
(ख) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 (जिसे इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है) के खंड 12 के उपखंड 4(क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:

“आवास शुल्क तथा दैनिक एकमुश्त राशि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान होगी जैसे समय-समय पर संशोधित की जाती है।”

टिप्पणी: निर्धारित अधिकतम दरों की सीमा के अधीन आवास पर किया गया वास्तविक व्यय रसीद प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य होगा और इन दरों में कर या सरकारी उपकरण सम्मिलित नहीं हैं जो कि वास्तविक व्यय पर अतिरिक्त रूप से देय होंगे।

अलका, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./148/2026-27]

टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र में, असाधारण, भाग III - खंड 4, फा. सं. बीएस/11/06/2020, दिनांक 25 जून, 2020 को प्रकाशित किए गए थे।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2026

F. No. BS XI/06/01/2026-27.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 read with section 39 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), and with the previous approval of the Central Government, the Bureau of Indian Standards hereby makes the following amendment to the Bureau of Indian Standards (Terms and Conditions of Service of Employees) Regulations, 2020, namely: -

1. (a) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Terms and Conditions of Service of Employees) Regulations, 2026.

(b) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Bureau of Indian Standards (Terms and Conditions of Service of Employees) Regulations, 2020, (hereinafter referred to as the said regulations), the sub clause 4(a) of clause no. 12 shall be substituted as below:

“the stay accommodation charges and lump sum amount per day shall be at par with the central government employees as amended from time to time.”

Note: The Actual expenditure on staying accommodation subject to the prescribed ceiling rates, shall be admissible on production of receipt & the rates are excluding taxes or Government levies, which shall be extra at actuals.

ALKA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./148/2026-27]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III-Section 4, vide F.No. BS/11/06/2020, dated the 25th June, 2020.